न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 10/2022

अपीलांट्स –
पुरखसिंह पुत्र रावतसिंह जाति
राजपुरोहित निवासी रडवा
तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. तहसीलदार बाड़मेर
2. नीम्बसिंह पुत्र रावतसिंह
3. मोहनसिंह पुत्र जुगतसिंह
4. हीरसिंह पुत्र जुगतासिंह
5. छोगसिंह पुत्र जुगतसिंह
6. गोरधनसिंह पुत्र जुगतसिंह
7. माधोसिंह पुत्र जुगतसिंह
8. मांगीलाल गोद पुत्र बुलाराम
9. फरससिंह पुत्र तेजा
10. देराज उर्फ देरावरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
11. दरिया पत्नी लाभुसिंह
12. भवानीसिंह पुत्र लाभुसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रडवा तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 1257 दिनांक 12.04.2019 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री गंगाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री गणपत विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2से12 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पो0 सं. 1 प्रफोंमा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 09.10.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट्स तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 1257 दिनांक 12.04.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा रड़वा में खेत खसरा संख्या 176 रकबा 317–08 बीघा एवं खसरा संख्या 445/169 रकबा 148–12 बीघा भूमि खातेदारान नीम्बसिंह, पुरखसिंह पि0 रावतसिंह, मोहनसिंह, हीरसिंह, छोगसिंह,

जिला कलक्टर बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:57:00 IST
Reason: SelfAttested

गोरधनसिंह, माधोसिंह पि0 जुगतसिंह, गीगीदेवी धर्मपत्नी स्व. जुगतसिंह, मांगीलाल गोदपुत्र बुलाराम, फरससिंह वल्द तेजा, देराज उर्फ देरावरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, दरिया पत्नी लाभुसिंह, भवानीसिंह पुत्र लाभुसिंह कौम पुरोहित निवासी रड़वा तहसील बाडमेर सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 12.04.2019 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी बालेरा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 1257 दिनांक 12.04.2019 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.02.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक मौजा रड़वा में खेत खसरा संख्या 176 रकबा 317–08 बीघा एवं खसरा संख्या 445/169 रकबा 148–12 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त खेत में सह खातेदारो द्वारा आपसी सहमति से किये विभाजन अनुसार काश्त कब्जा है। पक्षकारान की पृथक–पृथक आवासीय ढाणीयां, टांके, चारबाडे इत्यादि बने हुए है। अपीलांट ने अपनी सहमति से अपने कब्जे एवं काश्त के अनुसार विभाजन के लिए कागजात तैयार कराने हेतु उतरदाता संख्या 2 को अधिकृत किया गया। उतरदाता संख्या 2 ने पटवारी हल्का से सम्पर्क कर विभाजन हेतु आवश्यक कागजात तैयार कर उक्त कागजात पर अपीलांट ने हस्ताक्षर करने से पहले प्रकट किया कि भूमि की पेमाईश कर मौके पर चिन्हित की जाये ताकि प्रत्येक पक्ष की स्थिति स्पष्ट हो जाये, परन्तु उस समय बताया कि मौके की पैमाईश हेतु निरीक्षक भू–अभिलेख की उपस्थिति में नक्शा चिन्हित किया जायेगा, अभी तो विभाजन हेतु आवेदन तैयार किया जाना है। इस पर सभी उतरदातागण ने पटवारी द्वारा बताये स्थानों पर कागजात पर हस्ताक्षर निशान अंगुष्ठ कर कागजात उतरदाता संख्या 1 को हल्का पटवारी की उपस्थिति में विभाजन हेतु सौंप दिये। अपीलकर्ता व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:57:00 IST
Reason: SelfAttested

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था तथा पक्षकारान कब्जा काश्त व आवास कोई बाधा नहीं थी। उतरदातागण द्वारा अपीलकर्ता के कब्जे काश्त भूमि पर दखलदांजी करने लगे तब अपीलकर्ता को ज्ञात हुआ कि उक्त बंटवाडा कब्जे काश्त अनुसार नहीं हुआ है। उक्त गलत बंटवाडा अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिये गये, जिसका ज्ञान अपीलांट को दिनांक 28.01.2022 को राजस्व रेकर्ड व बंटवाडा की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर हुआ। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक भूमि मौजा रड़वा में खेत खसरा संख्या 176 रकबा 317–08 बीघा एवं खसरा संख्या 445/169 रकबा 148–12 बीघा आई हुई है। जिसमें पक्षकारान की पृथक–पृथक रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे बने हुए है। पक्षकारान के मध्य विभाजन कब्जे–काश्त अनुसार नहीं होने से अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट्स को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उजर ऐतराज नहीं है।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन प्रार्थना–पत्र पेश कर अपनी खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 12.04.2019 को प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी बालेरा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 1257 दिनांक 12.04.2019 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.02.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उतरदातागण द्वारा हलका पटवारी से कागजात तैयार कर जिसमें अपीलकर्ता के हस्ताक्षर फर्जी कर तथा अपीलकर्ता के स्थान पर अन्य व्यक्ति को खड़ा कर उक्त बंटवाडे के दस्तावेज को प्रस्तुत कर बंटवाडा कर दिया गया है। विभाजन आदेश पारित करने से पूर्व इस आवेदन के तथ्यों व भौतिक कब्जे की स्थिति तथा खातेदारान की सहमति बाबत् कोई पुछताछ न कर इस पर यांत्रिक रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित होने से उक्त आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट के अधिवक्ता के इस अभिकथन को अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा ताईद करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने बाबत अनापत्ति प्रकट की गई हैं। अपीलांट

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:57:00 IST
Reason: SelfAttested

के मुख्य कथन में प्रकट किया गया हैं कि पक्षकारान की पृथक–पृथक रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे बने हुए है तथा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अधिवक्ता पक्षकरान द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट्स तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 1257 दिनांक 12.04.2019 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:57:00 IST
Reason: SelfAttested